

PUBLIC NOTICE

Under Section 94(1)(F) of the Electricity Act, 2003 Description read with Regulation 23 of CSERC (Conduct of Business) regulations, 2009 and Regulation 33 of CSERC (Details to be furnished by licensee or generating company for determination of tariff and manner of making application) Regulations, 2004, M/s Jindal Steel Ltd. has filed a petition before Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC), for seeking review of the order dated 23.07.2025 passed in Petition No. 02 of 2025 in respect of licensed distribution business. This petition has been registered as Petition No.13 of 2026.

Copy of this notice and the petition are also available on the Commission's website www.csere.gov.in. Hardcopy of the aforesaid petition is available on any working day between 11 AM to 4 PM in the Commission office on payment of Rs 200/- The copy of the petition may also be obtained by post an additional payment of Rs 50/- towards postal expenses.

Interested persons may submit objections/suggestions to Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur-492001 (CG), Email csere.sec.cg@nic.in within 21 days of publication of this notice.

Notice for hearing on aforesaid petition shall be published by CSERC in the newspaper separately.

**M/s Jindal Steel Ltd.
Raigarh (CG) PIN-496001**

जन सूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1)(एफ), सीएसईआरसी (व्यवसाय संचालन) विनियम, 2009 के विनियम 23 और सीएसईआरसी (टैरिफ निर्धारण और आवेदन करने के तरीके के लिए लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण) विनियम, 2004 के विनियम 33 के अन्तर्गत, मेसर्स जिंदल स्टील लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) के समक्ष याचिका संख्या 02/2025 में दिनांक 23.07.2025 को पारित आदेश की समीक्षा की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है। यह याचिका, याचिका क्रमांक 13/2026 के रूप में पंजीकृत है।

उपरोक्त याचिका की प्रति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कालोनी, शांति नगर रायपुर 492001 के कार्यालय में उपलब्ध है। याचिका की मुद्रित प्रति कार्यालयीन दिवसों में रुपये 200/- का भुगतान कर पूर्वान्ह 11:00 से सांय: 4:00 के बीच प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति रुपये 50/- (डाक व्यय) का अतिरिक्त भुगतान कर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in पर उपलब्ध है।

उपरोक्त याचिका पर सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन के 21 दिवस के भीतर सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर-492001, ईमेल cserc.sec.cg@nic.in के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है।

सुनवाई हेतु स्थल एवं दिनांक की सूचना, आयोग द्वारा पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावेगी।

मेसर्स जिन्दल स्टील लिमिटेड,
रायगढ़ (छ.ग.) पिन-496001